राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट–1 /12606 जयपुर, दिनांकः 12/06/18

आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश 08/2018 दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8A के तहत ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट की पंजीकृत एसोसिएशन अथवा निर्माताओं का है। ई–रिक्शा निर्माताओं द्वारा आदेश दिनांक तक चालकों के प्रशिक्षण हेतु सुचारू व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसी परिस्थिति में राज्य में ई–रिक्शा एवं ई–कार्ट के पंजीयन पर तब तक रोक लगायी गयी थी, जब तक कि एसोसिएशन अथवा निर्माताओं द्वारा विभाग से अनुमोदित सिलेबस के अनुरूप प्रशिक्षण का कार्य शुरू नहीं किया जाता है। ई–रिक्शा/ई–कार्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट धारी डीलर को जारी ट्रेड सर्टिफिकेट को तुरंत उस अवधि तक निलंबित किया गया था जब तक कि वाहन निर्माता उसके द्वारा विक्रित वाहन के स्वामियों जो कि ऐसे वाहनों के चालक है, के लिये विभाग द्वारा स्वीकृत सिलेबस के अनुसार प्रशिक्षण का कार्य चालू नही करता है। ई–रिक्शा/ई कार्ट डीलर्स के वाहन विक्रय पर रोक, पंजीयन पर रोक, ट्रेड प्रमाण पत्र पर कार्यवाही के संबंध में जारी आदेश दिनांक 13.03.2018 के बिन्दु संख्या 3 को जयपुर जिले के लिये इस कार्यालय के आदेश दिनांक 11.05.2018 द्वारा वापस ले लिया गया था। इस बिन्दु के प्रभाव को राज्य के अन्य जिलों हेतु भी इस शर्त के साथ प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है कि राज्य के अन्य जिलों में स्थापित ई–रिक्शा/ई–कार्ट के निर्माताओं द्वारा भी ई–रिक्शा/ई कार्ट चालकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें, या विभाग द्वारा अधिकृत संस्थाओं से ऐग्रीमेंन्ट (MOU) कर अधिकृत जांच संस्थाओं के द्वारा ई–रिक्शा/ई कार्ट चालकों के प्रशिक्षण की सुनिश्चिता की जावें। प्रशिक्षण पश्चात् जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदकों के लाईसेंस एवं पंजीयन का कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करें। ई–रिक्शा/ई कार्ट के चालकों को प्रशिक्षण देनें हेतु अब तक विभाग द्वारा निम्न तीन संस्थाओं को इस हेतु अधिकृत किया जा चुका हैः–

क्र.स.	अधिकृत संस्था का नाम	संस्था का पता
1.	मैसर्स ऑटोलाईट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर	महार हाउस आयुर्वेदिक संस्थान के सामने, जोरावर सिहं गेट, गंगा पोल, आमेर रोड़ जयपुर।
2.	मैसर्स ऑटोलाईट (इंडिया) लिमिटेड जयपुर	527–529, रीको इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा जयपुर।
3.	ई–रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, जयपुर	27 ट्रांसपोर्ट नगर , दिल्ली रोड, एम. आई. रोड, जयपुर।

(आर. सी. यादव)
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांकः–प 7(523) परि/नियम/मु./2014–पार्ट–i /12607-610 जयपुर, दिनांक 12/06/18
प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर।
2. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान।
3. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)